XXX-Part-2

एस/9997/09
10-3-10

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **01/01/01/21398/10**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन, भोपाल समिति जो शा0 मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 18/02/2010 को पंजीयित की गई है।

दिनांक अठारह माह फरवरी सन् 2010

18/2/10
(आलोक नागर)
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

मुद्रा

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियो के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 21398
रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/2/10
संशोधन दिनांक 21/6/17
सहा. रजिस्ट्रार

1. संस्था का नाम : मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन

2. संस्था का कार्यालय : पंजीकृत कार्यालय, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, पुरानी विधानसभा के पास भोपाल (म.प्र.)

3. संस्था के उद्देश्य :

1. महाविद्यालय में अधो–संरचना व अकादमिक आवश्यकता अनुसार विकास कार्य में सहयोग प्रदान करना ।
2. महाविद्यालय के विकास के लिए आवश्यकता अनुसार जन सहयोग से धनराशि जुटाना।
3. जनहित में सामाजिक उत्थान के कार्य–जैसे अन्तयव्यसायी, कमजोर वर्ग, रोजमर्रा की विज्ञान शिक्षा, साक्षरता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी तथा पेय–जल संरक्षण हेतु चेतना जागृत करना ।
4. छोटे–छोटे समूह बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान प्रदान कर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एन.जी.ओ. की भॉति कार्य करने का प्रयास करना।
5. शहर में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के प्रयास।
6. भोपाल शहर में अमन, चैन, शान्ति, सौहार्द कायम रखना व महत्वपूर्ण त्यौहारों को पूर्व छात्रों तथा वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों के साथ आनन्द से मनाना।
7. राजनीति में अवमूल्यन रोकने के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं सेमिनार का आयोजन करना व सक्रिय रहना।
8. मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करना, गरीब विद्यार्थियों को सहायता एवं प्रोत्साहन हेतु कार्य करना। ।
9. चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत महाविद्यालय के पूर्व छात्र चिकित्सकों के सहयोग से समाज में रह रहे, गरीब, दीन, निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के लिये निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर एवं स्वास्थ परीक्षण शिविर लगाना ।
10. वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों तथा महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के सहयोग से रक्तदान शिविर के आयोजन का प्रयास करना।
11. प्राणघातक रोग जैसे कैंसर आदि के उपचार हेतु महाविद्यालय के पूर्व छात्र चिकित्सकों के सहयोग से गरीब, दीन, निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के लिये संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
12. खेलकूद, वादविवाद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियो के प्रसार हेतु समय–समय पर जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ का सफल संचालन करने का प्रयास करना।
13. कैंसर, कुष्ठ रोग, एड्स, वर्डफ्लू, स्वाईनफ्लू जैसे भयानक रोगो को जड से मिटाने हेतु प्रयास करना एवं नशामुक्ति कार्यक्रमो के क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना ।
14. साक्षरता अभियान को गति देने हेतु प्रौढ महिला, पुरूष एवं ग्रामीण जनता के लिये निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था एवं समय–समय पर शिविर के माध्यम से साक्षरता हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना ।
15. दलित एवं शोषित लोगों के उत्थान के लिये कार्य करना एवं छुआ–छूत को समाप्त करने हेतु आम जन को जागरूक करना ।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव

16. पशुचिकित्सा एवं पशु संरक्षण सम्बंधित सार्थक प्रयास करना ।
17. कृषि आधारित औषधीय पौधों की खेती करने हेतु किसानो को उत्प्रेरित करना, वनो के विकास के साथ–साथ वनो पर आधारित दोना पत्तल इकाई, जैविक खाद, सिलेट पेन्सिल एवं फर्नीचर निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना ।
18. सिलाई, कढाई, जूट एवं क्राफ्ट हैण्डलूम के लिए महिला व पुरूषो को प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।
19. जल संसाधन की रेन हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण एवं जल संरक्षण योजनाओ के लिए आम जन एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का प्रयास करना ।
20. पंचायत एवं समाज सेवा विभाग मध्यप्रदेश एवं पंचायत एवं सामजिक अधिकारिता मत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सभी गतिविधियो के क्रियान्वयन करने हेतु आम जन को जागरूक करना ।
21. सडक सुरक्षा एवं यातायात नियमो की जानकारी प्रशिक्षण शिविरों, सेमिनार के माध्यम से स्कूली एवं महाविद्यालय के छात्र/छात्राओ को प्रदान करना ।
22. गौ–सेवा, गौ संरक्षण एवं गौ पालन हेतु लोगों को जागृत करना एवं गौशालाओं के संचालन हेतु लोगो को प्रेरित करना ।
23. मूक, बधिर, आंशिक विकलांग, पूर्ण विकलांग एवं नेत्रहीन छात्र/छात्राओ के शिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण वितरण करना एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रयास करना। ।
24. अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमो व सुझावो के लिए गृह विभाग तथा समाज के जबाबदार लोगों में सामन्जस्य स्थापित कर अपराधों की रोकथाम रोकने हेतु आम जन को जागरूक करने का प्रयास करना ।
25. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समितियों के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद् सभा या शासी – निकाय को सौंपा गया है । जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :–

स. क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
1	श्री आर.के शर्मा / स्व.श्री एम.पी शर्मा	अध्यक्ष	म.न.ई–7, चार इमली, शासकीय आवासगृह, भोपाल	शा0 सेवा
2	डॉ.अमरजीत बजाज / स्व.श्री मनमोहनसिंह गुरंन	कार्यकारी अध्यक्ष	23, मालवीय नगर, भोपाल	शा0 सेवा
3	डॉ.विनोद पाराशर / स्व.श्री.एम.बी.पाराशर	उपाध्यक्ष	फ्लेट नं.–8,कायनात अपार्टमेंट, भोपाल	शा0 सेवा
4	डॉ.उमेश मिश्रा/ स्व.पी.पी.मिश्रा	उपाध्यक्ष	म.नं. 29 लक्ष्मण परिसर बाबडियकला, भोपाल	शा0 सेवा
5	डॉ.शिरीश जोशी/ श्री भास्कर शंकर जोशी	महासचिव	म.न.ई–7/12, चार इमली, शासकीय आवासगृह, भोपाल	शा0 सेवा
6	डॉ.संतोष भार्गव/ श्री एम.एन. भार्गव	कोषाध्यक्ष	ई–7/एम–570 अरेरा कालोनी, भोपाल– 462016	शा0 सेवा
7	डॉ. सरिता श्रीवास्तव/ श्री एम.के. श्रीवास्तव	सहसचिव	जी–1/89 गुलमोहर कालोनी, भोपाल	शा0 सेवा
8	श्री विलास बुचके/ श्री के.एम. बुचके	सहसचिव	मं.नं.ए–73, आदर्श नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल	शा0 सेवा
9	डॉ.अरविन्द टण्डन/ स्व.श्री आर.एन.टण्डन	सम्पर्क सचिव	म.नं.ई–4/157 अरेरा कालोनी, भोपाल	शा0 सेवा
10	श्री आर.के शर्मा / स्व.श्री एम.पी शर्मा	अध्यक्ष	म.न.ई–7, चार इमली, शासकीय आवासगृह, भोपाल	शा0 सेवा

(हस्ताक्षर) अध्यक्ष

(हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर) महासचिव

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 21398
रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/2/10
संशोधन दिनांक 21/6/19

11	डॉ कैलाश त्यागी/ स्व. श्री सी.डी त्यागी	सदस्य	31,दीपक हाउसिंग सोसायटी, चूनाभट्टी, भोपाल	शा0 सेवा
12	श्री शैलेन्द्र निगम / श्री चेतन लाल निगम	सदस्य	म.नं. एफ/54, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	शा0 सेवा
13	डॉ. डी.के गुप्ता/ श्री हरिनारायण गुप्ता	सदस्य	म.नं. 131 अंसल प्रधान इनक्लेव ई–8 एक्सटेंशन, अरेरा कालोनी, भोपाल	शा0 सेवा
14	श्री शरद दुबे/ स्व.श्री एल.एन दुबे	सदस्य	म.नं. एच–55 वधीय अपार्टमेन्ट, अरेरा कालोनी, भोपाल	निगम सेवा
15	श्री अतुल सक्सेना/ स्व. श्री व्ही.के. सक्सेना	सदस्य	क्वा.नं. –जी–2/88, 1400 क्वार्टस भोपाल	शा0 सेवा

5. संस्था के इस ज्ञापन – पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा की म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है ।

हम अनेक व्यक्ति, जिनके नाम ओर पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन –पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन – पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किये हैं।

स.क्र.	निमार्णकर्ताओ के नाम, पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्री आर.के शर्मा/ स्व.श्री एम.पी शर्मा म.नं.ई–7, चार इमली, शासकीय आवासगृह, भोपाल	Sd-
2	डॉ.अमरजीत बजाज /स्व.श्री मनमोहनसिंह गुरंन 23, मालवीय नगर, भोपाल	Sd-
3	डॉ.विनोद पाराशर /स्व.श्री.एम.बी.पाराशर फ्लेट नं.–8,कायनात अपार्टमेंट, भोपाल	Sd-
4	डॉ.उमेश मिश्रा/स्व.पी.पी.मिश्रा म.नं. 29 लक्ष्मण परिसर बाबडियकला, भोपाल	Sd-
5	डॉ.शिरीश जोशी/श्री भास्कर शंकर जोशी म.न.ई–7/12, चार इमली, शासकीय आवासगृह, भोपाल	Sd-
6	डॉ.संतोष भार्गव/श्री एम.एन. भार्गव ई–7/एम–570 अरेरा कालोनी, भोपाल– 462016	Sd-
7	डॉ. सरिता श्रीवास्तव/श्री एम.के. श्रीवास्तव जी–1/89 गुलमोहर कालोनी, भोपाल	Sd-
8	श्री विलास बुचके/श्री के.एम. बुचके म.नं.ए–73, आदर्श नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल	Sd-
9	डॉ.संजय तैलंग /स्व.श्री जी.एन. तैलंग क्वा.नं.एफ–61,शासकीय आवास गृह,कोटरा, भोपाल	Sd-
10	डॉ.अरविन्द टण्डन/स्व.श्री आर.एन.टण्डन म.नं.ई–4/157 अरेरा कालोनी, भोपाल	Sd-
11	डॉ कैलाश त्यागी/स्व. श्री सी.डी त्यागी 31,दीपक हाउसिंग सोसायटी, चूनाभट्टी, भोपाल	Sd-
12	श्री शैलेन्द्र निगम /श्री चेतन लाल निगम म.नं. एफ/54, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	Sd-
13	डॉ. डी.के गुप्ता/श्री हरिनारायण गुप्ता म.नं. 131 अंसल प्रधान इनक्लेव ई–8 एक्सटेंशन, अरेरा कालोनी, भोपाल	Sd-

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) कोषाध्यक्ष (हस्ताक्षर) महासचिव

14	श्री शरद दुबे/स्व.श्री एल.एन दुबे म.नं. एच–55 बघीरा अपार्टमेन्ट, अरेरा कालोनी, भोपाल	Sd-
15	श्री अतुल सक्सेना/स्व. श्री व्ही.के. सक्सेना क्वा.नं. –जी–2/85, 1100 क्वार्टस भोपाल	Sd-

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज ASST. REGISTRAR OF SOCIETIES BHOPAL भोपाल

शुल्क रूपये 200 चालान न./ नं.
दिनांक 24/6/19 द्वारा पटाबा गया है। मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक
सहायक रजिस्ट्रार

साक्षी
Sd
हस्ताक्षर
नाम : डॉ (श्रीमती) स्वर्णलता तिवारी
पूर्ण पता : प्राचार्य
एम० वी० एम० भोपाल

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
महासचिव

TC

22.07.19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न. 2/398
रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/2/10
संशोधन दिनांक 21/6/19
असि. रजिस्ट्रार

संशोधित नियमावली 2019

1. संस्था का नाम : मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय पूर्व विद्यार्थी संगठन
2. संस्था का कार्यालय :पंजीकृत कार्यालय, शासकीय मोतीलाल विज्ञानमहाविद्यालय, पुरानी विधानसभा के पास भोपाल (म.प्र.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. महाविद्यालय में अधो–संरचना व अकादमिक आवश्यकता अनुसार विकास कार्य में सहयोग प्रदान करना ।
2. महाविद्यालय के विकास के लिए आवश्यकता अनुसार जन सहयोग से धनराशि जुटाना।
3. जनहित में सामाजिक उत्थान के कार्य–जैसे अन्तयव्यसायी, कमजोर वर्ग, रोजमर्रा की विज्ञान शिक्षा, साक्षरता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी तथा पेय–जल संरक्षण हेतु चेतना जागृत करना ।
4. छोटे–छोटे समूह बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में योगदान प्रदान कर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एन.जी.ओ. की भॉति कार्य करने का प्रयास करना।
5. शहर में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के प्रयास।
6. भोपाल शहर में अमन, चैन, शान्ति, सौहार्द कायम रखना व महत्वपूर्ण त्यौहारों को पूर्व छात्रों तथा वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों के साथ आनन्द से मनाना।
7. राजनीति में अवमूल्यन रोकने के लिए वादविवाद प्रतियोगिता एवं सेमिनार का आयोजन करना व सक्रिय रहना।
8. मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करना, गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन हेतु कार्य करना।
9. चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत महाविद्यालय के पूर्व छात्र चिकित्सकों के सहयोग से समाज में रह रहे, गरीब, दीन, निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के लिये निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर एवं स्वास्थ परीक्षण शिविर लगाना ।
10. वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों तथा महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के सहयोग से रक्तदान शिविर के आयोजन का प्रयास करना।
11. प्राणघातक रोग जैसे कैंसर आदि के उपचार हेतु महाविद्यालय के पूर्व छात्र चिकित्सकों के सहयोग से गरीब, दीन, निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के लिये संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
12. खेलकूद, वादविवाद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियो के प्रसार हेतु समय–समय पर जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ का सफल संचालन करने का प्रयास करना।
13. कैंसर, कुष्ठ रोग, एड्स, वर्डफ्लू, स्वाईनफ्लू जैसे भयानक रोगो को जड से मिटाने हेतु प्रयास करना एवं नशामुक्ति कार्यक्रमो के क्रियान्वयन हेतु प्रयास करना ।
14. साक्षरता अभियान को गति देने हेतु प्रौढ महिला, पुरूष एवं ग्रामीण जनता के लिये निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था एवं समय–समय पर शिविर के माध्यम से साक्षरता हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना ।
15. दलित एवं शोषित लोगों के उत्थान के लिये कार्य करना एवं छुआ–छूत को समाप्त करने हेतु आम जन को जागरूक करना ।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव

16. पशुचिकित्सा एवं पशु सरक्षण सम्बंधित सार्थक प्रयास करना ।
17. कृषि आधारित औषधीय पौधों की खेती करने हेतु किसानो को उत्प्रेरित करना, वनो के विकास के साथ–साथ वनो पर आधारित दोना पत्तल इकाई, जैविक खाद, सिलेट पेन्सिल एवं फर्नीचर निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना ।
18. सिलाई, कढाई, जूट एवं क्राफ्ट हैण्डलूम के लिए महिला व पुरूषो को प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।
19. जल संसाधन की रेन हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण एवं जल संरक्षण योजनाओ के लिए आम जन एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का प्रयास करना ।
20. पंचायत एवं समाज सेवा विभाग मध्यप्रदेश एवं पंचायत एवं सामजिक अधिकारिता मत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सभी गतिविधियो के क्रियान्वयन करने हेतु आम जन को जागरूक करना ।
21. सडक सुरक्षा एवं यातायात नियमो की जानकारी प्रशिक्षण शिविरों, सेमिनार के माध्यम से स्कूली एवं महाविद्यालय के छात्र/छात्राओ को प्रदान करना ।
22. गौ–सेवा, गौ संरक्षण एवं गौ पालन हेतु लोगों को जागृत करना एवं गौशालाओं के संचालन हेतु लोगो को प्रेरित करना ।
23. मूक, बधिर, आंशिक विकलांग, पूर्ण विकलांग एवं नेत्रहीन छात्र/छात्राओ के शिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण वितरण करना एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रयास करना। ।
24. अपराधो की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमो व सुझावो के लिए गृह विभाग तथा समाज के जबावदार लोगों से सामन्जस्य स्थापित कर अपराधों की रोकथाम रोकने हेतु आम जन को जागरूक करने का प्रयास करना ।

सरकारी ... 12/3/18
रजिस्ट्रेशन ... 13/2/19
संशोधन दिनांक ... 27/6/19

5. **सदस्यता**– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे –

(अ) **संरक्षक सदस्य**– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 2500/– या अधिक एक मुश्त देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा । जिन सदस्यों ने संस्था के गठन के उपरांत रूपये 2500/– या अधिक राशि जमा की है, वे भी संस्था के संरक्षक सदस्य माने जावेंगे ।

(ब) **आजीवन सदस्य** – जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप के रूपये 500/– या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा । जिन सदस्यों ने संस्था के गठन के उपरांत रूपये 500/– दिये हैं वो आजीवन सदस्य रहेगा।

(स) **साधारण सदस्य**– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 100/– एक मुश्त देगा वह एक वर्ष के लिए साधारण सदस्य होगा।

(द) **सम्माननीय सदस्य** – संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकता है।ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्ति**– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो उसे लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन–पत्र प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा, सदस्य द्वारा पैरा 7 में उल्लेखित योग्यता रखने पर ही सदस्यता मान्य की जायेगी।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
महासचिव

7. **सदस्यता की योग्यता**– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) आयु 21 वर्ष से कम न हो ।
(2) भारतीय नागरिक हो
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
(5) सदस्य से तात्पर्य ऐसे छात्र–छात्राओं से है जिसने महाविद्यालय में कम से कम एक वर्ष तक नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया हो ।

8. **सदस्यता की समाप्ति** – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी–

(1) मृत्यु हो जाने पर ।
(2) पागल हो जाने पर ।
(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम–06 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
(4) त्याग पत्र देने पर और वह प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार होने पर ।
(5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:–**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई होगी।

10 (अ)**साधारण सभा**– साधारण सभा में नियम–06 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे।साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कायकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचितकरेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । यदि बैठक का कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 03 माह के भीतर बुलाई जावेगी।उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा । यदि उक्त संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में बुलाये एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) **प्रबन्धकारिणी सभा**– प्रबन्धकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक तीसरे माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 07 दिन पूर्व प्रबंधकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । आवश्यकता पड़ने पर आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों का होगा ।यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनःकी जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
महासचिव

(स) **विशेष बैठक**– यदि कम से कम कुल संख्या के (कुल सदस्यों की संख्या का) 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से पंजीयक को 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

(11) **साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य**–

(1) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(2) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(3) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
(4) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
(5) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(6) बजट का अनुमोदन करना ।

सहायक रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/8/10
संशोधन दिनांक 21/6/19
8 आर्टि. रजिस्ट्रार

(12) **प्रबन्धकारिणी का गठन**– नियम–05 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों द्वारा जिनके नाम पंजी में दर्ज हो, साधारण सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर अध्यक्ष एवं शेष पदाधिकारीयो का निर्वाचन होगा। अध्यक्ष, प्रबंध कार्यकारिणी पदाधिकारीयो की सहमति से कार्यकारिणी सदस्यो को मनोनीत कर सकता है। पदाधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार होगी ।

(1)	अध्यक्ष	एक –(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(2)	कार्यकारी अध्यक्ष	एक –(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(3)	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	एक –(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(4)	उपाध्यक्ष	पांच –(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(5)	महासचिव	एक–(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(6)	सचिव	एक–(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(7)	सह–सचिव	एक–(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(8)	संगठन सचिव	एक–(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(9)	कोषाध्यक्ष	एक –(साधारण सभा द्वारा निर्वाचित)
(10)	कार्यकारिणी सदस्य	ग्यारह–(कार्यकारिणी की सहमति से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)

(13) **प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल**– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक, जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता,कार्य करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 06 माह से अधिक नहीं होगी ।

(14) **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य**–

(1) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
(2) पिछले वर्ष के आय–व्यय का लेखा, पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदनके साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
महासचिव

(3) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(4) कर्मचारियों आदि की नियुक्ति करना ।

(5) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।

(6) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

(7) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या हस्तान्तरित नहीं की जाएगी ।

(8) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारणसभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

सामान्यतः रजिस्ट्रेशन न. 21298
रजिस्ट्रेशन दिनांक 18/2/16
संशोधन दिनांक 21/8/19

(15) **अध्यक्ष के अधिकार–**

(1) अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा महासचिव द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(2) अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति से उपसमिति, कार्यक्रम आयोजन समिति एवं अन्य कार्य समितियो का गठन कर सकेगा, ऐसी उपसमितिया, प्रबन्धकारिणी समिति के अधीन कार्य करेगी। ऐसी उपसमितिओ का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

(3) अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सहमति से संरक्षक मंडल, सलाहकार मंडल का गठन कर सकेगा, उक्त संरक्षक मंडल एवं सलाहाकर मंडल का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

(16) **कार्यकारी अध्यक्ष के अधिकार** – अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे कार्यकारी अध्यक्ष, द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठको की अध्यक्षता की जावेगी ।

(17) **महासचिव के अधिकार–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक अध्यक्ष के लिखित आदेशानुसार समय –समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे दस्तरवेजों को तैयार करना । उनका निरीक्षण करना व अथवा अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) महासचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 25000/–खर्च करने का अधिकार होगा ।

(18) **कोषाध्यक्ष के अधिकार–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा अध्यक्ष या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
महासचिव

(19) **बैंक खाता**– संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या महासचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 20000/– रहेंगे ।

(20) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** – अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनॉक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा–28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

(21) **संशोधन**– संस्था के विधान के संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

(22) **विघटन** – संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी । विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

(23) **संपत्ति** – संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी ।

(24) **बैंक खाता**– संस्था की समस्त निधि हेतु खाता राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट–आफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

(24) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** – संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

(25) **विवाद**– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को सुझलाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो अंतिम निर्णय आमसभा सुलझायेगी, जब आमसभा सुलझा नहीं सकेगी तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

(26) महासचिव– की अनुपस्थिति मे सचिव, महासचिव का कार्य करेंगा ।

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
कोषाध्यक्ष

(हस्ताक्षर)
महासचिव

शुल्क रूपये 200 चालान न./स्टांप न.....
दिनांक 24/6/19 द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक.....
पंजीयक के हस्ताक्षर

22.07.19
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल